129

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. सर्किल कोर्ट रीवा (म.प्र.)

R.M-5088 ह/16

आवेदक अभिभाषक श्री इन्द्रजीत प्रसाद द्विवेदी पेश / 16.2.16

सदाशिव पिता जागेश्वर पटेल निवासी ग्राम गुढवा, तहसील मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.) — **आवेदक / अपीलार्थी**

बनाम

1— रामकुमार

2— मोतीलाल

3— शिवबहोर

तीनों के पिता लालमणि

4— हनुमान प्रसाद पिता विधाता सभी निवासी ग्राम गुढवा, तहसील मनगवां, जिला—रीवा (म.प्र.) — **अनावेदक / रेस्पा.गण**

आवेदन बावत अन्तरण राजस्व अपील कमांक 04 / अपील / अ'6 अ / 15—16 सदाशिव विरुद्ध रामकुमार व अन्य सा. गुढवा तहसील मनगवां को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा के न्यायालय से किसी अन्य श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु।

अन्तरण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 (1) म.प्र. भू. राजस्व संहिता. 1959 ई.

मान्यवर,

अन्तरण आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :—

1. यहकि राजस्व अपील कमांक 04 / अ—6 अ / 15—16 सदाशिव बनाम रामकुमार व अन्य साकिन गुढवा तहसील मनगवां, जिला रीवा के न्यायालय में लंबित है आवेदक ने अपील के अन्तरण के लिये अंतरण आवेदन पत्र श्रीमान अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में दिया था। श्रीमान अपर आयुक्त रीवा ने आवेदक का आवेदन पत्र खारिज कर दिया है श्रीमान अनुविभागीय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक M 5088-II/16 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. आक्षेपित आदेश में अपर आयुक्त ने अंतरण आवेदन ख़ारिज करने का यह आधार लिखा है कि अंतरण आवेदन संहिता (MPLRC) की धारा २९ की परिधि में नहीं आता, और आवेदक अगर पीठासीन अधिकारी के किसी आदेश पत्रिका में पारित आदेश से परिवेदित है तो वह अंतरिम आदेश की निगरानी सक्षम न्यायालय में कर सकता है. आक्षेपित आदेश में अपर आयुक्त ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें अंतरण आवेदन धारा २९ की परिधि के बाहर क्यों लगा. इस रा मं न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा दिए गए मेमो के पैरा २ एवं ३ में आवेदक ने यह लिखा है कि अनावेदकगण जिस अयोध्या सिंह की खेती बाड़ी करते हैं, उसके अनु अधि से अच्छे सम्बन्ध हैं, अनावेदकगण का अनु अधि के घर आना जाना रहता है और अनावेदकगण अनु अधि और अयोध्या सिंह की सेवा सत्कार में लगे रहते हैं. इन कारणों और परिस्थितियों के चलते आवेदक को उक्त अनु अधि की ओर से न्याय मिलने की सम्भावना नहीं होना प्रतीत हुआ है. संहिता की धारा २९ में मामलों को अंतरित करने के अधिकार दिए गए हैं. इस धारा के अधीन यदि किसी पक्षकार को युक्तियुक्त रूप से यह भय हो कि किसी अधिकारी से उसे न्याय नहीं मिल सकेगा, तो यह अंतरण का पर्याप्त आधार हो सकता है [सीताराम वि मन्नू १९६६ रा नि ५४४]. इसी तरह यदि मामले पर विचार करने वाले अधिकारी का उस मामले में कोई आर्थिक या अन्य हित निहित है तो यह भी अंतरण का पुष्ट आधार है [जेठानंद वि कोतुमल ए आई आर १९३२ सिंध २०६]. इसके अतिरिक्त, मामला अंतरित करने के आवेदन पर विचार न करना न्याय-दान से इनकार करना है [चैनदास वि जोइधारम १९८६ रा नि ३८६].	

उपरोक्त नयादृष्टान्तों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने आवेदक को उसके अंतरण आवेदन पर सही से सुनवाई का अवसर देकर विचार नहीं किया है, जसकी वजह से आवेदक को अपने अंतरण के आधार रा मं के इस न्यायालय के समक्ष उठाने पड़े हैं.

उपरोक्त बिन्दुओं, न्यायदृष्टान्तों और विवेचना के प्रकाश में मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि आवेदक के अंतरण आवेदन पर आयुक्त या अपर आयुक्त स्तर पर सही से विचार किया जाना चाहिए था जो की आक्षेपित आदेश में नहीं किया गया. अतः, मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि १०-२-१६ एतदद्वारा निरस्त करता हूँ.

साथ ही मैं आयुक्त, रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि वे अब उक्त अंतरण का प्र क्र ४८/अंतरण/१५-१६ अब अपने न्यायालय में खोलें, आवेदक और अनावेदकगण को सूचना और सुनवाई का अवसर अब अपने समक्ष देते हुए अंतरण हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आधारों का स्वयं परिक्षण करें, आवश्यकतानुसार उभयपक्ष को साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण का अवसर भी दें, और तदुपरांत ऊपर लिखे जा चुके तथा प्रकरण में अन्यथा लागू न्यायदृष्टान्तों और अन्य बिन्दुओं के प्रकाश में, नए सिरे से बोलते स्वरुप का आदेश पारित करें. यदि विषयांकित अनु अधि की सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण आदि के परिणामस्वरूप स्थिति बदल गई हो, तो उसको भी वे अपना निर्णय लेने के पूर्व विचार में आवश्यकतानुसार लें.

इन्ही निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं आयुक्त, रीवा सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य